सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-504/CG/13/2022-ESDW (RU-I) **दिनांक: 02.06.2025**

श्री मयंक चतुर्वेदी,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़,
कलेक्टर कार्यालय,
रायगढ़ 496001, छत्तीसगढ़
ई-मेल: raigarh.cg@nic.in

श्री गुरदीप सिंह,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एन.टी.पी.सी. भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
ई-मेल: ntpccc@ntpc.co.in

विषय: एन टी पी सी द्वारा ग्राम रायकेरा, तलाईपाली, कुधुरमौहा, बिछीनारा, नयारामपुर तहसील-घरघोडा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ की भूमियों पर अधिनियम 2013 धारा 38 के अनुसार बिना सम्पूर्ण मुआवजा भुगतान के एवं बिना पुनर्वास की राशि प्रदाय किए कब्जा नहीं करने हेतु निर्देशित करने के संबंध में श्री पंचमसिंह एवं हरिराम पिता रामप्रसाद, निवासी ग्राम-बिछीनारा, तहसील-घरघोडा, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ का दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 13.07.2022 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पश्चात** सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री पंचमसिंह
पिता रामप्रसाद,
निवासी ग्राम-बिछीनारा, तहसील-घरघोडा,
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।